

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

आ दे श

क्रमांक 263 / गोपनीय / 2022  
दो-3-112 / 2021

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च, 2022

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्वारा श्रीमती पूनम डामेचा, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, नागदा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नागदा जिला उज्जैन का उपनाम परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है। उनका नाम अब “श्रीमती पूनम कटारिया” पिता डॉ. आर. एल. कटारिया किया जाता है।

उक्त प्रविष्टि समस्त शासकीय अभिलेखों में की जावे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

  
२३.०३.२२  
(कृष्णमूर्ति मिश्र)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 264 / गोपनीय / 2022  
दो-3-112 / 2021


जबलपुर, दिनांक 23 मार्च, 2022

प्रतिलिपि:-

- उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- महालेखाकार,(लेखा/हकदारी) प्रथम (टी०एम० अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- श्रीमती पूनम डामेचा, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, नागदा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नागदा जिला उज्जैन को उनके आवेदन पत्र क्रमांक 45, दिनांक 14-02-2022 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

6. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उनके जावक क्रमांक 29/गोपनीय/स्टेनो/2022, दिनांक 21.02.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
10. प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर/डी0ए0 (गोपनीय) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

टिप्पणी :— रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग इत्यादि संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।



(कृष्णमूर्ति मिश्र)  
रजिस्ट्रार जनरल  
SL